राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक प. 5(53)ग्राविवि / अनु–5 / SPMRM / VC Meeting / 2019 जयपुर दिनांक :– 12/11/21

–::बैठक कार्यवाही विवरण::–

श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रूर्बन मिशन (SPMRM) योजना के अन्तर्गत राज्य के 13 जिलों के 15 कलस्टर्स में योजनान्तर्गत 21 घटकों में सम्मिलित कार्यों की प्रगति समीक्षा किये जाने हेतु शासन सचिव, ग्राविवि की अध्यक्षता में दिनांक 10.11.2021 को साय: 3.00 बजे से 5.00 तक वीडियों कॉफ्रेंसिग (NIC के माध्यम से) आयोजित की गई। समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

1. अनुमोदित डीपीआर में सम्मिलित CGF Fund के कार्यों की विभागवार स्वीकृत, अस्वीकृत, पूर्ण, प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्य की अद्यतन प्रगति निर्धारित प्रारूप में (Excel Sheet) दिनांक 15.11.21 तक विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित किये जाने हेतु जिला प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
2. जिन जिलों द्वारा डीपीआर में संशोधन के प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे, के अनुमोदन किये जा चुके है, शेष जिले अपने –अपने डीपीआर के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यकता होने पर 1 सप्ताह में संशोधन के प्रस्ताव प्रेषित करें।
3. योजनान्तर्गत स्ट्रीट लाईट के कार्य शुरू करने के संबंध में की गई कार्यवाही विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
4. योजनान्तर्गत सीडीएमयू / डीपीएमयू में कार्मिकों की नियुक्ति शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
5. PFMS से पूर्व हुए व्यय की मैनुअल प्रविष्टियों पूर्ण करने, CGF Fund में 75 प्रतिशत व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 CA Audit Report प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे। जिन जिलों द्वारा आवंटित बजट से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त बजट आवंटन के प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किये गये।
6. योजनान्तर्गत शेष 5 जिलों को संशोधित डीपीआर में आर्थिक गतिविधियों (मधुमक्खी पालन, मोरिंगा प्लांटेशन, जैविक खेती) को बढ़ावा को देते हुए प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया।
7. योजना के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियां संचालित किया जाना अपेक्षित घटक है अतः जिला स्तर से क्लस्टर की भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर संभावित रोजगार सृजन की गतिविधि चिन्हीत कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता ग्राविवि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्राविवि।
3. जिला कलक्टर, भरतपुर, उदयपुर, नागौर, बाडमेर, एवं जोधपुर (प्रथम फेज) अलवर, जयपुर, जालौर एवं बीकानेर (द्वितीय फेज) हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाडा।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भरतपुर, उदयपुर, नागौर, बाडमेर, एवं जोधपुर (प्रथम फेज) अलवर, जयपुर, जालौर एवं बीकानेर (द्वितीय फेज) हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाडा ।
5. प्रोग्रामर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

अधीक्षण अभियंता, ग्रा.वि.

C:\Users\Acer\Desktop\SPMRM 2020\Meeting Proceedings.Docx